

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट**

आप.प्रक. क.341 / 16  
संस्थित दिनांक 04.05.2016  
फा.नंबर-234503003742016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर  
जिला बालाघाट।

.....अभियोजन।

**विरुद्ध**

चरणसिंह पिता रामलाल कोड़ापे, उम्र-55 वर्ष,  
निवासी ग्राम आमगांव थाना बैहर जिला बालाघाट।

.....आरोपी

// निर्णय //

**दिनांक 19.02.2018 को घोषित**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 भा.द.वि. एवं धारा-3/181, 39/192 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 01.02.2016 को शाम 6:00 बजे के बीच ग्राम भारी हीरालाल के घर के सामने थाना बैहर लोकस्थान पर वाहन मोटर सायकिल सी.टी.100क.एम.पी.50एम.के.6115 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत रामलाल मानेश्वर को उसके पैर, हाथ, पीठ व सिर पर टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के चलाया।

**02-** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि दिनांक 01.02.2016 को रामलाल मानेश्वर खेत से घर वापस पैदल जा रहा था, तभी चरणसिंह अपनी मोटर सायकिल क्रमांक सी.टी.100एम.पी.50एम.के.6115 को तेज गति लापरवाहीपूर्वक चलाकर पीछे से ठोस मार दिया, जिससे उसे चोट आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-184 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं साक्षीगण के कथन लेख किये गये, घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा-338 भा.द.वि. एवं आरोपी चालक द्वारा बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाये जाने से धारा-3/181, 39/192 मोटर यान अधिनियम का ईजाफा किया गया। आरोपी को जमानत-मुचलके पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 51/15 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279,, 338 एवं मो. व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 39/192 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं

विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

**04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—**

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.02.2016 को शाम 6:00 बजे के बीच ग्राम भारी हीरालाल के घर के सामने थाना बैहर लोकस्थान पर वाहन मोटर सायकिल सी.टी. 100क.एम.पी.50एम.के.6115 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेज गति से लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत रामलाल मानेश्वर को उसके पैर, हाथ, पीठ व सिर पर टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के चलाया ?

**सकारण व निष्कर्ष:—**

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 से 02:—**

नोट:— सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05—** साक्षी रामलाल अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक 01 फरवरी, 2016 को शाम लगभग 06:00 बजे ग्राम भारी हीरालाल के घर के सामने की है। वह अपने खेत से घर की तरफ जा रहा था। गाड़ी की आवाज अपने पर वह सड़क किनारे हो गया था, तभी आरोपी चरणसिंह अपनी मोटर सायकिल बजाज सी.टी.100 को तेज गति से चलाकर उसे पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वह गिर गया और उसे दोनों पैर तथा गर्दन के पास चोटें आई थी। गाड़ी पर नंबर नहीं था। नई गाड़ी थी। वह घटना में बेहोश हो गया था, जिसके बाद होश आने पर उसे बैहर अस्पताल ईलाज के लिये भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बालाघाट तथा नागपुर में उसका ईलाज हुआ था। घटना में उसके दोनों पैर टूट गये थे। घटना आरोपी चरणसिंह की गलती से हुई थी। पुलिस ने बैहर अस्पताल में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 10.12.2016 की है। वह यह नहीं बता सकता कि लड़के के साईड में मोटर सायकिल वाला मजहर खान गिरा था। साक्षी के अनुसार उसे लोगों ने बताया था कि मजहर खान था।

**06—** साक्षी रामलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना कितने बजे की वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था, नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि घटना के बाद वह बेहोश हो गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि बेहोश होने के कारण उसने नहीं देखा था कि वाहन कौन चला रहा था। साक्षी के अनुसार पहले पलटकर देखा था। यह स्वीकार किया है कि होश आने के बाद गांव वालों ने उसे घटना के संबंध में बताया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय कौन सी गाड़ी रोड से जा रही थी, उसने नहीं देखा था, घटना के पूर्व आरोपी पहले से सड़क किनारे गिरा हुआ था, उसका आरोपी से घटना के पहले से मन-मुटाव चला आ रहा है। वह यह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक को आरोपी के वाहन का कलर कौन सा था। यह स्वीकार किया है कि आरोपी वाहन में अकेला था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की, आरोपी लोकमार्ग पर वाहन को उतावलेपन से नहीं चला रहा था तथा वह आरोपी को आपसी रंजिश की वजह से उक्त प्रकरण में झूठे रूप से फंसा रहा है।

**07—** साक्षी नान्हूलाल अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना सोमवार के दिन 02 मार्च 2016 की है। उसने देखा कि रामलाल अपने खेत से वापस अपने घर आ रहा था, तभी आरोपी चरणसिंह कुड़ापे ने अपने वाहन से रामलाल को टक्कर मार दिया था। आरोपी अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। घटना में रामलाल को गर्दन में पीछे एवं पैर पर चोट आई थी। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसका अंगुठा निशानी है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 01.02.2016 की है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी चरणसिंह ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पीछे से हीरालाल के गोबर कूड़ा के पास ठोस मार दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना 03 मार्च 2016 को शाम के पांच-छः बजे की है। यह स्वीकार किया है कि आरोपी अपना वाहन अपने साईड से चला रहा था। वह आरोपी कौन सा वाहन चला रहा था नहीं बता सकता। वह नहीं बता सकता कि आरोपी का वाहन किस रंग का था। आरोपी कितनी रफ्तार से वाहन चला रहा था, वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी के अनुसार दूसरे दिन पूछताछ की थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने कोरे कागज में उससे अंगुठा लगवाया था तथा प्रार्थी और वह आपस में रिश्तेदार है, इसलिये न्यायालय में अपने बयान दे रहा है।

**08—** साक्षी मोहनदास अ.सा.11 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना 01 फरवरी 2016 को शाम छः बजे की है। आहत रामलाल खेत से घर की तरफ आ रहा था, तभी आरोपी चरणसिंह की मोटर सायकिल को तेज रफ्तार से चलाकर लाया और उन्हें टक्कर मार दिया था। घटना में रामलाल के दोनों पैर टूट गये थे, गर्दन में चोट आई थी। आरोपी नीले रंग की सी.टी.100 मोटर सायकिल चला रहा था। घटना आरोपी की गलती से हुई थी। रामलाल अपनी साईड पर चल रहा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह ग्राम भारी में रहता है। यह स्वीकार किया है कि जिसके साथ दुर्घटना घटित हुई थी, वह उसके घर के सामने में रहता है। यह अस्वीकार किया है कि वह घटना का समय नहीं बता सकता। वह घड़ी नहीं पहनता है। वह बिना मोबाईल या घड़ी देखे कितना बज रहा है नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि उसने घटना का समय अंदाजन बताया था। साक्षी के अनुसार उसने मोबाईल पर समय देखा था। यह अस्वीकार किया है कि आरोपी अपने साईड से गाड़ी चला रहा था। यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी भी अपनी साईड से आ रहा था। आरोपी सी.डी. डिलक्स नीले कलर की चला रहा था। वह वाहन का नंबर नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि वह प्रार्थी से जान-पहचान होने के कारण वह उसके पक्ष में बयान दे रहा है। यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी के अनुसार बाद में पूछताछ की थी। यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे किस दिनांक को पूछताछ की थी वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि आरोपी अपने वाहन को कितनी स्पीड से चला रहा था वह नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार पचास-साठ की स्पीड से चला रहा था। यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। साक्षी के अनुसार थोड़ी दूर पर था।

**09—** साक्षी देवसिंह अ.सा.04 ने कहा है कि वह आरोपी चरणसिंह कोड़ापे को जानता है। उसके सामने मोटर सायकिल थाने में जप्त की गई थी, जो जप्ती पत्रक प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी चरणसिंह को पुलिस ने उपस्थिति पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्तशुदा वाहन का परीक्षण नहीं किया था, किन्तु वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आज से आठ-दस माह पूर्व दिनांक 17.10.2016 को जप्त की गई मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.के.6115 है, का मैकेनिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था, तभी उसने उस पर हस्ताक्षर किया था। यह स्वीकार किया है कि वह पढ़ना-लिखना समझता है। उसके समक्ष पुलिस ने वाहन का मैकेनिकल परीक्षण पुलिस ने तैयार किया था, मोटर सायकिल के संबंध में पूछताछ की थी, तब तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।



**10—** साक्षी देवसिंह अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने थाने में बुलाकर गाड़ी के जप्ती पत्रक में उससे हस्ताक्षर करवाये थे। उसे मालूम नहीं है कि किस गाड़ी के जप्ती पत्रक पर हस्ताक्षर कराये हैं। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि गाड़ी किस कलर की थी, उसके द्वारा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा बनाये गये कागज पर उसके हस्ताक्षर लिये गये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके पास वाहन परीक्षण करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तथा पुलिस से जान-पहचान होने के कारण उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिया था।

**11—** साक्षी राहुल कोड़ापे अ.सा.05 ने कहा है कि वह आरोपी चरणसिंह को जानता है, जो उसके पिता है। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.के.6115 जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.02 बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 बनाया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी उसके पिता है, इसलिये उन्हें बचाने के लिए न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

**12—** डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.07 ने कहा है कि वह दिनांक 01.02.2016 को सी.एच.सी. बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा टी.आई. बैहर को एक तहरीर भेजी गई थी, जिसमें लिखा था कि उसके द्वारा शाम 6:45 बजे निम्न लोगों को भर्ती किया गया है। लाने वालों के अनुसार रोड एक्सीडेंट से चोटें आई थी। आहत रामलाल पिता सीताराम, उम्र-40 साल निवासी भारी तथा चरणसिंह पिता रामलाल उम्र-52 साल, निवासी बैहर। उक्त रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को थाना बैहर से ए.एस.आई. श्री भिमटे द्वारा आहत रामलाल को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जांच में उसने निम्न चोटें पाया था। चोट क्रमांक 01—कंट्यूजन जो कि तिरछापन लिये, अनियमित किनारे, लालीमा लिये था। उक्त चोट सिर के पिछले भाग के मध्य भाग पर होना पाया था। चोट क्रमांक 02—कंट्यूजन, जो कि एल्बो ज्वाइंट के पीछे के भाग पर दाहिने तरफ होना पाया था। चोट क्रमांक 03—कंट्यूजन जो कि तिरछापन लिये, लालीमा लिये उक्त चोट ऐंकल ज्वाइंट बाई ओर होना पाया था। चोट क्रमांक 04—एब्रेजन जो कि चमड़ी निकल गई थी, सूखा रक्त होना पाया था। उक्त चोट दाहिने पैर पर सामने की तरफ होना पाया था। सामान्य अवस्था—आहत होश में था। नब्ज 88 पर मिनट, रक्तचाप 140/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, हृदय तंत्र एवं श्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार

चोट क्रमांक दो एवं तीन के लिए एक्स-रे की सलाह दी गई, बाकि चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। चोट क्रमांक दो खुरदुरी सतह से आ सकती है। उसके जांच के छः घंटे के अंदर की है। आहत को भर्ती कर आगे ईलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रिफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

**13—** डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत शराब के नशे में था तथा परीक्षण के समय आहत को गंभीर क्षति नहीं थी। साक्षी के अनुसार गंभीर क्षति होने पर ही एक्स-रे की सलाह दी जाती है। यह अस्वीकार किया है कि घटना दौड़कर गिरने से या शराब के नशे में गिरने से पैर के टखने में ऐसी चोट आ सकती है। यह स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पर गिरे तो उसे घुटने या हाथ की कोहनी में चोट आ सकती है। साक्षी के अनुसार उसके द्वारा उल्लेखित चोटें नहीं आ सकती है।

**14—** साक्षी लखन भिमटे अ.सा.06 ने कहा है कि वह दिनांक 01.02.2016 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को डॉ० कुमरे सी.एच.सी. बैहर की अस्पताल तहरीर आहत रामलाल मानेश्वर की तहरीर जांच किया, जांच पर धारा-279, 337 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही साक्षी नान्हूलाल मानेश्वर की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी का अंगुठा निशानी है एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी चरणसिंह कुड़ापे द्वारा वाहन पेश करने पर मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.के.6115 को मय इश्योरेंस के गवाह देवसिंह एवं राहुल के समक्ष जप्त किया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी का अभिरक्षा पत्रक उन्हीं गवाहों के समक्ष तैयार किया गया जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर गवाहों के एवं सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी को न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए सूचना पत्र दिया गया था। दिनांक 05.02.2016 को गवाह नान्हूलाल मानेश्वर एवं मोहनदास परवार एवं दिनांक 31.03.16 को रामलाल मानेश्वर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 17.02.2016 को आरोपी चरणसिंह को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस जारी किया गया था, जिसमें जवाब पेश किया, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वाहन का देवसिंह मरावी द्वारा मैकेनिकल परीक्षण कराया गया जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर देवसिंह के हस्ताक्षर है। मेडिकल रिपोर्ट नागपुर से प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि.

का ईजाफा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

**15—** साक्षी लखन भिमटे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने मौका-नक्शा थाने में ही तैयार किया था तथा उसने गवाह नान्हूलाल, रामलाल, मोहनदास के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन थाने में पेश किया था, जिसके उपरांत ही जप्ती बनाई गई थी।

**16—** प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज है तथा घटना के साक्षियों ने भी घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन के कथन किये हैं। स्वयं अभियुक्त ने धारा-133 मो.व्ही. एक्ट के नोटिस प्र.पी.06 में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह वाहन को चला रहा था। उक्त नोटिस को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है। घटना के आहत रामलाल अ.सा.01 तथा साक्षी नान्हूलाल अ.सा.02 ने आरोपी के सड़क किनारे चल रहे आहत को पीछे से टक्कर मारने के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं। मौका-नक्शा प्र.पी.01 से भी घटनास्थल सड़क किनारे होने की पुष्टि होती है। चिकित्सा साक्ष्य से भी घटना के समय आहत को चोटें आना दर्शित है। यद्यपि आहत की एक्स-रे तथा अन्य रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी है, तथापि आहत रामलाल अ.सा.01 तथा मोहनदास अ.सा.03 ने घटना में आहत के दोनों पैर टूटने के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं तथा स्वयं चिकित्सक साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.07 द्वारा बचाव पक्ष के सुझाव पर ही व्यक्त किया गया है कि आहत को गंभीर क्षति थी। एक्स-रे के प्रत्येक मामले में अस्थिभंग होना आवश्यक नहीं है, तथापि आहत रामलाल अ.सा.01 की साक्ष्य तत्संबंध में अखण्डनीय है और विवेचक लखन भिमटे अ.सा.06 द्वारा भी आहत की रिपोर्ट के संबंध में अखण्डनीय कथन किये गये हैं। उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन दुर्घटना में आहत रामलाल को गंभीर क्षति कारित की गई थी। सड़क किनारे चल रहे आहत को टक्कर मारकर अभियुक्त द्वारा जिस प्रकार दुर्घटना कारित की गई, उससे अभियुक्त के उपेक्षा और उतावलेपन का निष्कर्ष सहज ही दिया जा सकता है।

**17—** उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा अपने वाहन मोटर सायकिल सी.टी.100क.एम.पी.50एम.के.6115 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत रामलाल मानेश्वर को उसके पैर, हाथ, पीठ व सिर पर टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-**

**18—** पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराये चालन किया गया।

**19—** फलतः अभियुक्त को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 39/192 में दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

**20—** अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त द्वारा कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं, जिस हेतु पृथक-पृथक दंड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**21—** अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा-338 भा.द.सं. में दोषी पाकर एक माह के साधारण कारावास तथा 1,000/- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

**22—** अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि आहत को धारा-357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**23—** अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

**24—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।



**25—** प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल सी.टी.100क.एम.पी. 50एम.के.6115 स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

**26—** अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी  
(शासकीय / विधिक उपयोग)

पि.क.